बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका संख्या-स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-2)-5083/संयुक्त निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-58/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा दिनांक-05.08.2024 को बाल विकास परियोजना, फलका अन्तर्गत तीन ऑगनबाड़ी केन्द्रों यथा केन्द्र संख्या-42, 139, 47 के किये गये औचक निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया था।

जॉच प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्र सं०-42 एवं 47 बंद पाये जाने, निरीक्षित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहायिका अनुपस्थित पाये जाने, केन्द्र संख्या-139 पर उपस्थित बच्चों की संख्या मात्र 02 पाये जाने एवं दोनों बच्चे पोशाक में नहीं पाये जाने, केन्द्र पर वजन मशीन उपलब्ध नहीं पाये जाने, नास्ता देने का समय होने पर नास्ता नहीं दिये जाने न हीं कोई सामग्री उपलब्ध रहने, केन्द्र पर कोई गतिविधि संचालित नहीं पाये जाने, भण्डार पंजी की जॉच नहीं होने, पोषाहार वितरण पंजी संधारित नहीं पाये जाने, सेविका सहायिका द्वारा विभागीय मानको के अनुरूप केन्द्र का संचालन नहीं किये जाने, केन्द्र संचालन संबंधी अन्य कई अनियमितताओं के पाये जाने का उल्लेख किया गया।

जाँच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों / अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका, कटिहार को आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन में पूर्णतः विफल रहना पाते हुए उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया था। तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3874 दिनांक-14.08.2024 द्वारा श्रीमती पामेला टुडु, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

तत्क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती पामेला टुडु, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, मुंगेर) को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती पामेला टुडु को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।
3. विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-2)- 5083 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

निबंधित

ज्ञापांक :- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-2)- 5083 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर/कटिहार/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/श्रीमती पामेला टुडु, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।